प्रकरण संख्या 19/2017 भंवरसिंह व अन्य बनाम कालूसिंह व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.01.2020	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बार में हाल आराजी नंबर 834/1336 रकबा 15 बीघा 13 बिस्वा भूमि स्थित है, जो बिलानाम सरकार दर्ज रही है। वादग्रस्त भूमि वादीगण के पूर्वाधिकारी पहाडसिंह के हाल आराजी नंबर 729, 730 व 731 के पश्चिम में सड़क छोड़कर आयी है, जिसे पहाडसिंह के नाम दर्ज होना चाहिए था, किन्तु सेटलमेन्ट के दौरान उदयसिंह के नाम दर्ज कर दी गयी है, जो गलत है। परिणाम स्वरूप उदयसिंह के बाद प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गयी, जो गलत व गैरकानूनी है। उक्त भूमियों पर प्रतिवादीगण का कभी कब्जा नहीं रहा, न ही उनका कब्जा किसी सक्षम अधिकारी ने रेग्यूलाईज किया है। अतः विवादित भूमियों का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक 13.05.2016 से वादीगण का वाद स्वीकार किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 06.04.2017 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 3 की ओर से वकील श्री डी. एस. चुण्डावत उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट द्वारा दफा 5 का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को उक्त निर्णय की प्रथम बार जानकारी दिनांक 27.03.2017 को हुई। जानकारी होते ही अपील अविलम्ब प्रस्तुत कर दी। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन का अवलोकन करने पर हमने पाया कि प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखे जाने की किसी प्रकार की सूचना अपीलान्ट को दिया जाना प्रकट नहीं होता है। अतः न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण	

की जाती है।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि प्रकरण 30.05.2016 के स्थान पर सीधे ही दिनांक 13.05.2016 को राजस्व कैम्प में रखकर निर्णय पारित कर दिया, जिससे अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। उल्टा अपीलान्ट की सहमति बताते हुए वाद डिक्री कर दिया है, जो त्रुटि पूर्ण है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि प्रकरण में 5 पेशियों पर निरन्तर न्यायालय की छाप लगी होकर प्रकरण में पेशी दिनांक 30.05.2016 नियत की गयी, किन्तु इससे पूर्व ही प्रकरण दिनांक 13.05.2016 को राजस्व कैम्प में रखकर प्रतिवादीगण का आपसी राजीनामा लिखते हुए वादीगण का वाद स्वीकार कर लिया, जबकि प्रकरण में राजीनामा होने की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 13.05.2016 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर एवं उनकी साक्ष्य लेकर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.03.2020 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.02.11 15:40:13 IST
Reason: SelfAttested
Location: